बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

निगमित संप्रेषण व निवेशक संबंध
प्रधान कार्यालय: लोकमंगल, शिवाजीनगर, पुणे-5
टेलीफोन/TELE : 020-25614495, 25614366, 25514501 to 12 विस्तारित क्र. 495

प्रेस विज्ञप्ति

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने आरएलएलआर तथा एमसीएलआर में 10 बीपीएस कमी की

पुणे, 11 अक्तूबर, 2021: बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) देश के सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक है। बैंक द्वारा 11 अक्तूबर, 2021 से रेपो लिंक उधारी दर (आरएलएलआर) में **10 बीपीएस** की कमी करते हुए आरएलएलआर 6.90% से 6.80% करने की घोषणा की है। आवास ऋण, कार ऋण, शिक्षा ऋण, वैयक्तिक ऋण के साथ एमएसएमई ऋण उत्पाद प्राप्त करने वाले ग्राहक इसका लाभ उठा सकते हैं।

इसके साथ ही, एमसीएलआर में भी 10 बीपीएस की कमी की गई है। ओवरनाईट अवधि हेतु एमसीएलआर कम करके 6.70%, 1 माह (6.80%), 3 माह (7.10%) और 6 माह की अवधि हेतु 7.15% किया गया है। एक वर्ष एमसीएलआर में 5 बीपीएस कमी करते हुए 7.25% किया गया है।

पूर्व में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आवास ऋण, कार ऋण और स्वर्ण ऋण पर प्रोसेसिंग शुल्क में छूट की घोषणा की थी। अब आरएलएलआर में कमी के संशोधन से आवास ऋण कम होकर 6.80%, कार ऋण (7.05%) और स्वर्ण ऋण (7.00%) अत्यंत सुलभ हो गया है।

श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने विचार व्यक्त किया कि - “ आरएलएलआर में कमी से और आवास ऋण, कार ऋण तथा स्वर्ण ऋण सेग्मेंट में शून्य प्रोसेसिंग प्रभार के साथ हमारे ग्राहक बेहद लाभान्वित होंगे। यह हमारे ग्राहकों की संतुष्टि में संवर्धन करेगा और त्योहारों के मौसम के दौरान खुशियों की सौगात लेकर आएगा।